न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 94 / 2019 **दायरा दिनांक : 03.07.2019**

उनवान

जगन्नाथ पुत्र श्री किशना, जाति बैरवा, निवासी मनोहरपुर, तहसील अटरू, जिला बारां (मृतक)

1/1 गजानन्द पुत्र स्वर्गीय श्री जगन्नाथ, जाति बैरवा,
1/2 जानकीलाल पुत्र स्वर्गीय श्री जगन्नाथ, जाति बैरवा,
1/3 सावित्री बाई पुत्री स्वर्गीय श्री जगन्नाथ, जाति बैरवा,
1/4 कमला बाई पत्नि स्वर्गीय श्री जगन्नाथ, जाति बैरवा,
निवासीगण मनोहरपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1 अमरलाल पुत्र घासी; जाति बैरवा,
2 लाल चन्द पुत्र घासी, जाति बैरवा
3 भंवरीबाई बेवा घासी, जाति बैरवा
निवासीगण मनोहरपुर, तहसील अटरू, जिला बारां
4 तुलसाबाई पुत्री घासी पत्नि रामकल्याण, जाति बैरवा, निवासी मनोहरपुर हाल निवासी मायथा पो. भैसडा, तहसील अटरू, जिला बारां
5 गीताबाई पुत्री खेमा पत्नि भवानीशंकर, निवासी मनोहरपुर हाल निवासी शाहबाद रोड़ रामद्वारे के पास बारां, जिला बारां
6 शाखा प्रबन्धक, हाडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुन्जेड, तहसील अटरू, जिला बारां
7 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

आदेश **दिनांक : 20.09.2023**

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 43/2016/इजराय आदेश दिनांक 10.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2– अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.2017 के अनुसार पत्रावली आज कोर्ट केम्प जीरोद में पेश हुई। तहसीलदार अटरू द्वारा इजराय की पालना के संबंध में रिपोर्ट पेश की है कि जगन्नाथ फौत हो चुका है एवं प्र. सं. 3 प्रतिवादी गीता पुत्री फूमा पत्नि किशना के स्थान पर आदेश दिनांक 19.09.2016 की पालना में गीता पुत्री फूमा पत्नि स्व. खेमा दर्ज हुआ। फूमा की मृत्यु हो जाने पर फूमा का नाम खारिज हुआ जर्ये बेचान खसरा नम्बर 305 रकबा 1.97 हेक्टर भूमि पर विकेता गीता पुत्री खेमा के स्थान पर केता राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचरण जाति मेघवाल सा. पटना का हिस्सा 1/6 पर नाम दर्ज हुआ। तहसीलदार अटरू द्वारा निवेदन किया कम सं. 3 गीता पुत्री खेमा के खसरा नम्बर 305 रकबा 1.97 हेक्टर में से 1/6 का बेचान राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचरण, जाति मेघवाल के पक्ष में करने से डिकी की पालना संभव नहीं है। अतः अब इजराय की पालना होना संभव नहीं होने के कारण इजराय खारिज की जाती है।

3– अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मनोहरपुर में विवादित आराजी खसरा नम्बर 304 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 305 रकबा 1.97 हेक्टर कुल दो किता कुल रकबा 2.21 हेक्टर का खाता विभाजन आदेश प्रदान किया गया।

4– प्रार्थीगण के पिता जगन्नाथ ने एक दावा पेश किया था जिसका वाद संख्या 15/2013 है। उक्त वाद को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2016 को स्वीकार फरमा दिया गया है। परन्तु वादीगण के पिता जगन्नाथ की मृत्यु 19.10.2015 को हो चुकी है। इसलिए प्रार्थीगण जगन्नाथ के कायम मुकाम बनकर इजराय पेश करना चाहते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र की प्रति साथ में सलंग्न है। न्यायहित में वादी जगन्नाथ के वारिसान द्वारा प्रस्तुत इजराय को पेश करने की इजाजत के लिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। जिसे न्यायहित में स्वीकार फरमाकर इजराय की पालना करवाया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने की कृपा करें।

5– तहसीलदार अटरू द्वारा पालना रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि जगन्नाथ फौत हो चुका है। प्र. सं. 5 प्रतिवादी गीता पुत्री फूमा पत्नि किशना के स्थान पर आदेश 19.09.2016 की पालना में गीता पुत्री फूमा पत्नि स्व. खेमा दर्ज हुआ। फूमा की मृत्यु हो जाने पर फूमा का नाम खारिज हुआ जरिये बेचान खसरा नम्बर 305 रकबा 1.97 हेक्टर भूमि पर विकेता गीता पुत्री खेमा के स्थान पर केता राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र, जाति मेघवाल सा0 पटना का हिस्सा 1/6 पर नाम दर्ज हुआ। प्रतिवादीकम सं. 5 गीता पुत्री खेमा ने खसरा नं. 305 रकबा 1.97 हेक्टर में से 1/6 हिस्सा का बेचान राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचरण, जाति मेघवाल के पक्ष में करने से डिकी की पालना संभव नहीं है। अतः अब इस इजराय की पालना होना संभव नहीं होने के कारण इजराय खारिज की जाती है। उक्त आदेश की अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है।

(दीपि रामेचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

6— अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर, अटरू में अपीलांट जगन्नाथ द्वारा एक वाद संख्या 15/2013 धारा 53, 88, 89, 183, 188 आर.टी.ए. बउनवान जगन्नाथ बनाम अमरलाल वगैराह पेश किया था, जिसमें दिनांक 29.08.2016 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का वाद स्वीकार करते हुए निर्णय व अंतिम डिक्री जारी की है कि विवादित आराजी वाके मनोहरपुर हाल खसरा नम्बर 304 रकबा 0.24 हेक्टर, खसरा नम्बर 305 रकबा 1.97 हेक्टर कुल दो किता रकबा 2.21 हेक्टर में वादी/अपीलांट जगन्नाथ को 5/12 (रकबा 0.92 हेक्टर) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी/रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 4 को संयुक्त रूप से हिस्सा 5/12 (रकबा 0.92 हेक्टर) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी कम 3 गीताबाई का रकबा 0.37 हेक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त विवादित आराजी में से वादी/अपीलांट का हिस्सा पृथक दर्ज कर खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे।

7— उक्त निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.08.2016 पारित होने के बाद वादी जगन्नाथ का स्वर्गवास हो गया। इस कारण मृतक जगन्नाथ के वारिसान 1/1 ता 1/4 द्वारा मद नं. 1 में वर्णित आदेश व अंतिम डिक्री की अनुपालना करवाने हेतु इजराय अधीनस्थ न्यायालय में पेश की थी जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2017 को कोर्ट कैम्प जीरोद में आदेश दिया है कि जगन्नाथ फौत हो चुका है। प्र. सं. 3 प्रतिवादी गीता पुत्री फूमा पत्नि किशना के स्थान पर आदेश 19.09.2016 की पालना में गीता पुत्री फूमा पत्नि स्व. खेमा दर्ज हुआ। फूमा की मृत्यु हो जाने पर फूमा का नाम खारिज हुआ जरिये बेचान खसरा नम्बर 305 रकबा 1.97 हेक्टर भूमि पर विक्रेता गीता पुत्री खेमा के स्थान पर क्रेता राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचन्द्र, जाति मेघवाल सा0 पटना का हिस्सा 1/6 पर नाम दर्ज हुआ। तहसीलदार अटरू द्वारा निवेदन किया कि कम सं. 3 गीता पुत्री खेमा ने खसरा नं. 305 रकबा 1.97 हेक्टर में से 1/6 हिस्सा का बेचान राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचरण, जाति मेघवाल के पक्ष में करने से डिक्री की पालना संभव नहीं है। अतः अब इस इजराय की पालना होना संभव नहीं होने के कारण इजराय खारिज की जाती है। उक्त आदेश की अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है।

08— अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन न करके उक्त इजराय को खारिज करने में भारी भूल की है।

09— अधीनस्थ न्यायालय को अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 29.08.2016 की केवल पालना करवानी थी जिसे खारिज करने का अधीनस्थ न्यायालय किसी भी प्रकार वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय आदेश दिनांक 10.05.2017 काबिले खारिज होने योग्य है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

10– अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 10.05.2017 इजराय मिसल नं. 43/2016 बउनवान मुकदमा जगन्नाथ बनाम अमरलाल वगैराह इजराय बाबत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2016 की अनुपालना न्यायालय उपजिला कलेक्टर, अटरू जिला बारां राज0 को निरस्त फरमाने की कृपा फरमावे।

11– अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 23.04.2018 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

12– अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

13– हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अद्योपान्त अध्ययन किया गया।

14– उक्त इजराय की अपील दर्ज होने से पूर्व दिनांक 03.07.2019 को बहस श्रवणाधिकार पर सुनी गई।

15– अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त आदेश के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

16– हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं अपील का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.08.2016 के अनुसार वादी जगन्नाथ पुत्र किशना को खसरा नम्बर 305 (दक्षिण) रकबा 0.92 हेक्टर और प्रतिवादी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अमरलाल, लालचन्द पुत्र, तुलसा बाई पुत्री, भंवरीबाई पत्नी, खसरा नम्बर 305 (दक्षिण) रकबा 0.92 हेक्टर एवं प्रतिवादी नम्बर 3 गीता पुत्री फूमा पत्नी किशना को खसरा नम्बर 305 (पूर्व) रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 304 रकबा 0.24 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.37 हेक्टर खाता विभाजन कर पृथक पृथक से लगान कायमी के आदेश दिये गये। जिस पर वादी जगन्नाथ के वारिसान की ओर से इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

17— इजराय प्रार्थना पत्र की ऑर्डरशीट पर उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2017 के अनुसार तहसीलदार अटरू द्वारा इजराय की पालना रिपोर्ट पेश की गई। जिसमें जगन्नाथ के फौत होने एवं प्रतिवादी संख्या 5 गीता पुत्री फूमा पत्नि किशना के स्थान पर आदेश दिनांक 19.09.2016 की पालना में गीता पुत्री फूमा पत्नि स्व0 खेमा दर्ज हुआ। फूमा की मृत्यु हो जाने पर फूमा का नाम खारिज हुआ है। जरिये बेचान खसरा नम्बर 305/1.97 हेक्टर भूमि पर विक्रेता गीता पुत्री खेमा के स्थान पर क्रेता राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र, जाति मेघवाल का हिस्सा 1/6 पर नाम दर्ज हुआ। तहसीलदार अटरू द्वारा निवेदन किया है कि प्रतिवादी क्रम 5 गीता पुत्र खेमा ने खसरा नम्बर 305 रकबा 1.97 हेक्टर में से हिस्सा 1/6 का बेचान राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचरण के पक्ष में करने से डिक्री की पालना संभव नहीं है। अतः इजराय की पालना संभव नहीं होने के कारण इजराय खारिज की गई।

18— अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि गीता पुत्री खेमा पत्नि खेमा ने खसरा नं. 305 रकबा 1.97 हेक्टर में से 1/6 हिस्सा का बेचान राजेन्द्र कुमार पुत्र रामचरण, जाति मेघवाल को किया है। यह तथ्य तहसीलदार की पालना रिर्पोट दिनांक 10.05.2017 से साबित होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए आदेश पारित करना चाहिए था।

19— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर पुनः गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में विधि सम्मत आदेश पारित करें । पक्षकारान दिनांक 21.11.2023 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होवे।

20— आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/09/2023

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा